न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
बी0पी0– 261/2026
(इसलामपुर थाना कांड संख्या– 108/2026)

नसीब पासवान बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
05.06.2026	दिनांक– 25.04.2026 से काराधीन नसीब पासवान की ओर से नियमित जमानत आवेदन पत्र जो बी0एन0एस0 की धारा– 190, 191(2), 126(2), 115(2), 74, 109, 303(2), 351(2), 352, 109(1) के तहत इसलामपुर थाना कांड संख्या– 108/2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि रूना देवी के लिखित आवेदन पर वर्तमान इसलामपुर थाना मुकदमा नं0 108/26 कायम हुई है। आवेदक की ओर से पूर्व में किसी भी प्रकार का जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं की गयी है। सिवाय इसलामपुर थाना काण्ड सं0– 143/25 के आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध धारा– 74, 109 एवं 303(2) बी0 एन0 एस0 के अलावा सभी धाराएँ जमानतीय हैं। आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सुचिका एवं आवेदक आपस में गोतिया हैं। आवेदक के विरूद्ध मारपीट, लज्जा भंग करने और चोरी के संबंध में एक व्यापक आरोप लगाया गया है। असल में आवेदक नसीब पासवान और उनकी पत्नी सचिता देवी तथा उनकी बेटी पूजा कुमारी पर बेरहमी से हमला किया गया और परिवार के सदस्यों से लूटपाट की गई। मुखबिर ने 03.03.2026 को अपराध किया था जिसके लिए आवेदक नसीब पासवान ने इसलामपुर थाना काण्ड सं0– 84/26 के तहत मुखबिर के पति और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था उसी से बचने के लिए झूठा मुकदमा सुचिका द्वारा किया गया है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि रूना देवी के पति दिनांक 16.03.2026 को फरिदपुर से समान लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे उसी समय कंचन रविदास, सर्वेश रविदास, प्यारे रविदास, अमन कुमार, नसिब पासवान, मुकेश कुमार ये सभी लोग घात लगाकर हाथ में लिए लाठी डंडा एवं लोहे का रड से लगातार जान मारने के नियत से परिवादिनी के पति को मारकर माथा फाड़ दिया जब हल्ला कि आवाज सुनकर परिवादिनी बचाने गई तो उसे भी मारपीट एवं गलत नियत से साड़ी खिंचने लगे जब परिवादिनी चिल्लाई तो जान मारने की धमकी देते हुए सभी लोग भाग गए तो परिवादिनी अपने पति की इलाज इसलामपुर लाकर कराई उसके बाद घर ले जाते समय परिवादिनी के पति बेहोश होने लगे तो निजी अस्पताल ले गई। उसके पति को आठ टांका लगा। परिवादिनी के पति के पैकेट से अभियुक्तों ने 5000 रू0 छिन लिए तथा परिवादिनी के गले से सोने का लॉकेट ले लिया। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 24 के अनुसार आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी और 5 अन्य व्यक्तियों पर मारपीट का जेनरल और ओमनीबस आरोप है। एक पीड़ित का ज़ख्म प्रतिवेदन पर ज़ख्म की प्रकृति सामान्य पायी गयी है।	

लगातार...	अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए मो0 रू0–10,000 / – (दस हजार) तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित) **अपर सत्र न्यायाधीश–V,** **हिलसा (नालंदा)।** Date of Order: 05.06.2026 Date of Reserving Order: Uploading date: 06.06.2026 Uploaded by: MD GUFRAN (STENOGRAPHER)	